of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. [*Placed in Library. See* No. LT—4242/70]

(2) A copy of the Report (Hindi version) of the Coordinating Committee for intensifying researches for finding a colour for Vanaspati. [*Placed in Library. See* No. LT—4243/70]

(3) A copy of the Central Warehousing Corporation (Second Amendment) Rules, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No G S R. 1252 in Gazette of India dated the 29th August, 1970, under sub-section (3) of section 41 the Warehousing Corporation Act, 1962. [*Placed in Library. See* No. LT 4247/70]

(4) A copy of the Annual Accounts of the Animal Welfare Board, Madras for the year 1968-69 along with the Audii Report thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-4244/70.]

**Audit Reports**

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. PARTHASARTHY): On behalf of Shri Vidya Charan Shukla,

I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Audit Report (Commercial) 1970—Part III, IV and V, under article 151 (1) of the Constitution.

(2) A copy of the Audit Report (Commercial), 1969 (Hindi version) under article 151 (1) of the Constitution read with sub-section 3 (ii) of section 3 of the Official Language Act, 196 . [*Placed in Library. See* No. LT-4245/70.]

**Apprenticeship (Amdt.) Rules and Mines (Amdt.) Rules**

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BISHWANATH ROY): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Apprenticeship (Amendment) Rules, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 1294 in Gazette of India dated the 5th September, 197 under sub-section (3) of section 37 of the Apprentices Act, 1961. [*Placed in Library. See* No. LT-4245/70.]

(2) A copy of the Mines (Amendment) Rules, 1270 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 1786 in Gazette of India dated 17th October, 1970 under sub-section (7) of section 59 of the Mines Act, 1952. [*Placed in Library. See* No. LT-4246/70.]

---

**13.04 hrs.**

## ESTIMATES COMMITTEE

**Hundred and Thirtieth Report**

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR (Sambalpur): I beg to present the Hundred and Thirtieth Report of the Estimates Committee regarding action taken by Government on the recommendations contained in their Ninetieth Report on the Ministry of Tourism and Civil Aviation Department of Tourism.

---

## BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing from 16th November, 1970, will consist of:

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Consideration and passing of:

(i) The Salaries and Allowances Officers of Parliament (Amendment) Bill, 19 0.

(ii) The Tea Districts Emigrant Labour (Repeal) Bill, 1967.

(3) Discussion on the Resolution seeking disapproval of the Foreign Exchange Regulation (Amendment) Ordinance, 1970 and consideration and passing of the Foreign Exchange

[Shri Raghu Ramaiah]

Regulation (Amendment) Bill, 1970.

(4) Further discussion of the motion regarding subversive and violent activities in the country at 3-30 p.m. on Wednesday, the 18th November, 1970.

(5) Discussion on motion regarding imposition of President's Rule in Uttar Pradesh on Thursday, the 19th November, 1970.

**श्री रवि राय** (पुरी) : मन्त्री महोदय ने अगले सप्ताह के कार्यक्रम का एलान किया है। हम लोगों द्वारा यह मांग की जा रही है कि डिफैकशंज पर जो रिपोर्ट आई है उस पर बहस कराई जाये। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अप्रजातांत्रिक ढंग से राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया डिफैकशंज को बढ़ावा देने के लिए उसको देखते हुए यह और भी जरूरी हो गया है कि उस रिपोर्ट पर बाकायदा बहस हो। मैं चाहता हूं कि उसके लिए समय अवश्य अगले सप्ताह में दिया जाय।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (हापुड़) : स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु की जांच के सम्बन्ध में देश में तरह-तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं। मैं यह चाहता हूं कि अगले सप्ताह के कार्यक्रम में उसके ऊपर भी चर्चा हो क्योंकि मैंने यह भी सुना है कि जो सरकारी अधिकारी उनके साथ गये थे, अब उनके बयान नए ढंग लिखाये से जा रहे हैं ताकि सरकार को किसी प्रकार से फिर कठिनाई में न फंसना पड़े।

गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में गन्ने की फसल अब पिराई के लिए मिलों पर और क्रशरों पर जाने लगी है। मैं चाहता था कि आज जो प्रश्न था उसके माध्यम से वह बात आ जाती लेकिन वह नहीं आ पाई। किसानों को किसी तरह से हानि न उठानी पड़े इस वास्ते या तो इसके सम्बन्ध में कृषि मन्त्री जी से आप एक वक्तव्य दिला दें या इसके ऊपर चर्चा करवा दें।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I would like to raise two or three points. There is growing discontent among the Central Government employees after the implementation of the Pay Commission Interim Award. There is only an amount of Rs. 15 or Rs. 25 or some such thing which is given. The Railwaymen's Federation and the Indian Defence Employees Federation have decided to start an agitation in this matter, unless this is modified by the Government. We were told that Government will consider this aspect and will see that Minimum Wage is given. The interim relief of Rs. 79 per month demanded has to be agreed to. I request the hon. Finance Minister to make a statement thereon.

We have been demanding a statement from the Home Minister regarding the Delhi Policemen who are still rotting in the streets. They said, their cases have been considered and orders are being issued and all that; but still nothing is done.

Last but not least, I wish to point out about the strike in Maharashtra. About 3 lakhs of Government employees are striking, demanding parity with Central Government employees. The UP employees are also demanding parity with Central Government employees. The Finance Minister is responsible for all these things. UP Government and Maharashtra Government have asked for financial aid from the Centre. We trust that this will be done. We would like to have a statement on this. I request you to convey my feelings to the Minister of Parliamentary Affairs, so that some statements may come in the next week on these matters.

**श्री शिव चन्द्र झा** (मधुबनी) : मैं चार बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि श्री टैनेटी विश्वनाथम् जी का विधेयक कमेटी के सुपुर्द किया गया था जो वापिस आ गया है और यहां पेश हो गया है। वह संविधान में संशोधन करने वाला एक छोटा सा विधेयक है। मैं चाहता हूं कि उस विधेयक को इसी अधिवेशन में पास कर दिया जाये हम लोग इस तरह का अपना कार्यक्रम बनायें जिससे वह विधेयक पास हो जाये।

दूसरी बात मैं प्रिवीपर्स के बारे में कहना चाहता हूं। वह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने

है। उन लोगों ने मुकदमा कर रखा है। संविधान की उन धाराओं को हमें हटाना ही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप उस विधेयक को क्या अगले सप्ताह ला रहे हैं और अगर नहीं ला रहें हैं तो उसको अवश्य लायें।

तीसरी बात चौथी योजना के बारे में है। जिस तरह से आप कार्यक्रम बना रहे हैं उस से मुझे ऐसा लगता है कि इस सत्र के अन्त में जाकर उसको आप लायेंगे और उस पर इसी सत्र में बहस नहीं हो सकेगी और अधिवेशन समाप्त हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह अगर आप उसको नहीं ला सकते हैं तो उससे अगले सप्ताह में जरूर लायें ताकि चौथी योजना पर बहस हो सके।

अखबारों में मैंने देखा है कि ब्रिटेन ने विटो पावर का इस्तेमाल रोडेशिया पर एफ्रो-एशियन प्रस्ताव के सम्बन्ध में किया है। इसके बारे में मैंने कालिंग एटेंशन नोटिस भी दिया है। आज विदेश नीति पर चर्चा होती है तो मैं इस बात को उठाता। प्रधान मन्त्री ने जो भाषण यू०यन० में किया उसकी बड़ी तारीफ हुई लेकिन वीटो की चर्चा तक उसमें नहीं की। डा० लोहिया ने कहा था कि यू०एन० इन्टरनेशनल कनफ्लिक्ट्स के मामले में एक क्लीयरिंग हाउस है। राष्ट्रों को बराबरी का स्थान मिले इसके लिए यह जरूरी है कि वीटो पावर को खत्म किया जाए। भारत कामनवैल्थ में है। ब्रिटेन वीटो पावर का इस्तेमाल करके प्रगति के मार्ग में बाधक बन रहा है। आप मेरा कालिंग एटेंशन मंजूर करें और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मन्त्री महोदय से एक वक्तव्य दिलायें। ब्रिटेन जिस तरह वीटो का इस्तेमाल करके एफ्रो-एशियन वर्ल्ड की प्रोग्रेस को रोक रहा है, उसके बारे में इस सदन में चर्चा होनी चाहिए।

**श्री जार्ज फरनेन्डीज** (बम्बई-दक्षिण) : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से विनती करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में राज्य सरकारी कर्मचारियों की जो हड़ताल कल से शुरू हो गई है, उसमें केवल कर्मचारियों की तनख्वाह का मामला ही नहीं है, बल्कि कई महत्वपूर्ण सवाल उसके साथ जुड़े हुए हैं। उस राज्य में संविधान बिल्कुल टूट गया है। अगले सोमवार को महाराष्ट्र की विधान सभा की जो बैठक होने वाली थी, गवर्नर को उसे स्थगित करना पड़ा, क्योंकि विधान सभा के 1900 कर्मचारियों में से कल सिर्फ 4 ही काम पर आये थे। एक बड़े राज्य में संविधान टूट गया है और तीन लाख सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को अगर इस सदन में न लाया जाये, तो फिर कहां लाया जाये? हम इस सदन में केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की मांगों आदि के बारे विचार करते हैं। हाल ही में उन्हें जो इनटेरिम रिलीफ दिया गया है, उसको लेकर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में असंतोष है। महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों की यह मांग है कि उन्हें भी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बराबर का दर्जा दिया जाये। जैसा कि मैंने कहा है, वहां पर संविधान टूट चुका है। ये दोनों बातें इस सदन से पूरा-पूरा सम्बन्ध रखती हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह सजेस्शन दे सकते हैं कि फलां सब्जेक्ट भी इस हाउस में डिस्कस किया जाये। लेकिन वे तो तकरीर करने लग जाते हैं और विजिनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पर बहस शुरू कर दी जाती है। अब माननीय सदस्य बैठ जायें।

**श्री जार्ज फरनेन्डीज** : अध्यक्ष महोदय, यह कोई मामूली मामला नहीं है। अगर केरल या बंगाल में ये घटनायें हुई होतीं, तो न जाने क्या-क्या बातें इस सदन में हो जातीं। आज महाराष्ट्र में संविधान टूट चुका है। बम्बई के 5 लाख लोगों को कल से दूध नहीं मिला है। आप इस मामले की गम्भीरता को समझिये। सरकारी अस्पतालों का काम ठप्प हो गया है।

[श्री जार्ज फरनेन्डीज]

मैं बम्बई के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। वहां के बच्चों को कल से दूध नहीं मिला है।

MR. SPEAKER : The hon. Member should resume his seat now. If he goes on persisting, then nothing that he says will go on record.

SHRI GEORGE FERNANDES**.

SHRI ANBAZHAGAN (Tiruchengode) : On a point of order. Such points cannot be raised here which are completely the concern of the State Government and which are the responsibility of the State Government.

MR. SPEAKER : I am not allowing it. It is not going on record.

SHRI ANBAZHAGAN : There is no meaning in raising such issues here. This is only the zero hour when the issues that are to be taken up can be mentioned.....

SHRI RABI RAY : We are dicussing about the statement of the hon. Mi ister as to what should be done in the next week. This is not the zero hour.

SHRI ANBAZHAGAN : We cannot have a debate on them now.

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बैठ जायें।

The Rules Committee must decide whether when a Minister comes out with a statement, a regular debate can follow. I have been permitting this for quite some time.

Every Party has its member on the Rules Committee, and they can ask their members to raise it there, instead of converting this into a debate hour.

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : अध्यक्ष महोदय, बैंक सेन्टर के मातहत हैं, बिहार के बैंकों में जून से झगड़ा चल रहा है। वहां पर चार कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। पूरी स्टेट में क्लीयरिंग हाउसिज बन्द हैं, बिजिनेस बिल्कुल ठप्प है। तमाम व्यापारी लोग और दूसरे लोग हैरान हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बारे में कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वित्त मन्त्री महोदय इस बारे में एक बयान दें ; अगर नहीं, तो इस सदन में इस मसले पर बहस होनी चाहिए ताकि कोई रास्ता निकाला जाये और वहां का ठप्प काम-काज फिर से शुरू हो सके। निलम्बित कर्मचारियों को काम पर लिया जाये और कर्मचारियों की दूसरी मांगों को माना जाये।

आज के अखबार में आया है कि बरौनी के रेलवे के बड़े गोदाम में आग लग जाने से एक करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इस विषय पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर इसके लिए समय नहीं है, तो रेल मंत्री एक बयान दे सकते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि इतनी बड़ी आग कैसे लगी, इसके लिए किसकी जवाबदेही है। क्या यह सही है कि उसमें एक करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ? क्या दोषी लोगों को पकड़ा गया है या नहीं।

श्री बनर्जी ने पुलिस कर्मचारियों के बारे में कह दिया है। इसलिए मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सरकार उन के मामलों को हमदर्दी के साथ जल्दी हल करे।

MR. SPEAKER : In furthur, I request members that whatever they want to be discussed should be sent in writing to the Business Advisory Committee. We will take them up there rather than discussing them here. All the members should follow this procedure.

SHRI S. M. BANERJEE : May I say in all seriousness that these are certain concessions given ? We have developed certain conventions in this House. These concessions should not be curtailed.

**Not recorded.

MR. SPEAKER : Any member who wants to say anything on these matters about anything to be discussed, will kindly send it in writing to the Committee. There we can ask the Minister about them.

SHRI S. M. BANERJEE : We have to focus attention on certain important matters and this is the only forum where it can be done.

MR. SPEAKER : In the report, we will mention that a request came from such and such members for discussion of such and such subjects, and also indicate the Committee's decisions about these matters. There will be no debate on this here.

SHRI S. M. BANERJEE : Before giving your ruling, kindly hear me. It will be difficult for us to raise any issue next time because we cannot disobey you. I have been here for 14 years. I have seen all the Speakers. They were also all men of equal learning as you are. Kindly do not curtail our rights. We take only 15 minutes. You can restrict the time if you like.

MR. SPEAKER : I am going to see the past record, find out how much time he has taken on these things and then lay it before the House.

SHRI S. M. BANERJEE : You can make it even two minutes, but do not withdraw this concession.

MR. SPEAKER : I know about the past Speakers. I have been in touch with the proceedings myself. I have been myself a Speaker for years and I have been going through all these debates. Kindly appreciate that there should be some procedure. On every little issue you start making a speech. Have mercy on the time of the House. On anything, you get up and say anything to the speaker, insulting or not insulting, intimidating or otherwise.

SHRI S. M. BANERJEE : I apologise if you feel offended.

MR. SPEAKER : I am going to take a definite stand on this. You must have respect for the Speaker. Otherwise, no Speaker would like to sit on this Chair. At least, I would not do it.

SHRI S. M. BANERJEE : On a point of personal explanation. I never said anything derogatory to the Chair. I mean no disrespect to anybody. I would never do so because I expect respect myself from others. We always use parliamentary language.

MR. SPEAKER : Your parliamentary language is much worse than unparliamentary language sometimes.

SHRI S. M. BANERJEE : I have not seen any other Parliament. I have been only in this Parliament. I did not intend to injury your feelings in any way.

MR. SPEAKER : Do not add fuel to the fire.

श्री काशी नाथ पाण्डेय (पदरौना) : वैसे तो शास्त्री जी ने भी जिक्र किया है, शुगर फैक्ट्रीज चलना शुरू कर रही हैं, करोड़ों किसानों का इससे सम्बन्ध है। गन्ने का दाम गन्ने की जब बुआई होती है उसी समय सरकार घोषित कर देती है, लेकिन इस साल वह नहीं हुआ। उसकी घोषणा अब भी नहीं हुई और फैक्ट्रियां चलने जा रही हैं। यह बहुत ही जरूरी प्रश्न हैं, इस पर बहस के लिए टाइम आप जरूर दें।

श्री रणबीर सिंह (रोहतक) : एक बात जो आप ने फील की वाकई वह सही है, अक्सर यह डिवेटिंग अवर बन जाता है। तो मैं मेम्बर साहबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको डिवेट न बनायें और आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक-मिनट जो मेम्बर अपनी बात रखना चाहते है उसके लिए इजाजत दे दें।

दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा वह यह कि गन्ने के भाव के लिए तो टाइम आप निकालें ही क्यों कि सीजन शुरू होने जा रहा है और भाव अभी तक तय नहीं हुए हैं। बाज दफा तो यह होता है कि भाव यहां से कुछ तय किया जाता है और मिलें कुछ देती हैं। तो इसके ऊपर विचार होना आवश्यक है।

[श्री रणधीर सिंह]

दूसरी बात—हर जगह लैंड सीलिंग की बात चल रही है । इसके साथ-साथ अर्बन प्रापर्टी पर भी सीलिंग की बात जोरों से चल रही है । तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या कहती है इसके लिए भी समय निकालना चाहिए क्योंकि देहात वाले ये कहते हैं कि सारी बन्दिश उन पर भी लगाई जा रही है, शहर वालों पर सीलिंग क्यों नहीं लगाई जाती ?

और एक पुलिस वाली बात है, उसके बावत भी कोई स्टेटमेंट होना चाहिए ।

SHRI RAGHU RAMAIAH : As you are aware, this programme is drawn up in consultation with the Business Advisory Committee. The various useful suggestions made by the hon. Members will be placed before the Ministers concerned for such action as they may deem fit.

**13.24 hrs.**

*The Lok Sabha adjourned for Lunch till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.*

---

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirty-three minutes past Fourteen of the Clock.*

**[Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]**

**सभापति महोदय** : श्री शिव चन्द्र झा...

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, इसके पूर्व की आप श्री झा को बुलायें, मैं एक जरूरी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं । दिल्ली में एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट डी० डी० ए० का है जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मातहत है ; डी० डी० ए० ने बहुत से मकान बनाकर बहुत से सरकारी मुलाजिमों को नकद दाम पर दिये हैं । मैं अभी एक कालोनी से आया हूं, वहां पर डी० डी० ए० ने उन लोगों के पास एक नोटिस भेजा और कहा कि 14 दिनों के अन्दर यह काम करो । नोटिस उन लोगों को आज मिलता है, लेकिन कल ही डी० डी० ए० का स्टाफ वहां जाता है और पचासों मकानों को तोड़ देता है । इस प्रकार की अन्धेरगर्दी दिल्ली में हो रही है । मैं श्री के० के० शाह के पास गया लेकिन वह मिले नहीं । मैं चाहता हूं कि सदन उनका ध्यान इस ओर खींचे । कानून की आड़ में यह जो धांधली चल रही है कि 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, लेकिन पहले ही उनका स्टाफ वहां जाकर उनको तोड़ देता है, जिसके लिए 25-30 हजार रुपया उन लोगों ने दिया है, अधिकतर उनमें सरकारी मुलाजिम हैं । इस तरह का जो अन्याय और अत्याचार उनके साथ हुआ है, मैं चाहूंगा कि पार्लियामेन्ट्री मिनिस्टर श्री के० के० शाह को बुलायें और उनसे कहें कि वे इसके बारे में एक बयान दें, वरना इस धांधली के खिलाफ हमें कुछ और कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

**सभापति महोदय** : आपने कह दिया है, रिकार्ड पर आ गया है, इस पर जो कार्यवाही होनी होगी, वह की जायेगी ।

**श्री कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय.....

**सभापति महोदय** : यह जीरो-आवर नहीं है, आप बैठ जाइये ।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : मुझे केवल एक मिनट दे दीजिये । श्री मधोक जी ने जो कुछ कह दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और एक चीज आपके जरिये से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं—दिल्ली के जो अध्यापक हैं, विशेषकर जो प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक हैं, उनके पे-स्केल्ज के बारे में सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आन्दोलन चल रहा है । वे लोग प्राइम मिनिस्टर के यहां भी तीन-चार रोज से धरना दिये बैठे हैं । उनके पे-स्केल्ज में जो परि-

वर्तन किया गया है, उसमें प्रिन्सिपल का पे-स्केल तो 80 परसेन्ट ज्यादा कर दिया है, लेकिन प्राइमरी टीचर्स का केवल 7-8 रुपया बढ़ा है इस तरह से एक जबरदस्त डिस्क्री-मिनेशन हुआ है...

**सभापति महोदय** : माफ कीजियेगा, आप लोगों को जो बातें उठानी हों, कृपा कर पहले लिखकर भेजें । हम इसको एलाऊ नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त पहले लिया जा चुका है । आप लोग अब नई बात रेज न करें ।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : आप मंत्री जी को कहिये कि वह इस बारे में वक्तव्य दें और उन को बुलाकर बातचीत करें । इस तरह का डिस्क्रीमिनेशन नहीं होनी चाहिये ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप उनसे कहिये कि वह स्टेटमेंट दें । वे लोग प्राइम मिनिस्टर के यहां धरना दे रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो पैरिस चली गई हैं ।

**सभापति महोदय** : ठीक है आपने कह दिया है । श्री शिव चन्द्र झा ।

---

**14.38 hrs.**

## TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL—(*Contd.*)

**श्री शिव चन्द्र झा** (मधुबनी) : सभापति जी, कल मैं कह रहा था कि यह टेक्सेशन लाज अमेण्डमेंट विधेयक, जिसके जरिये इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स के कानूनों का संशोधन किया जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि इस कानून में कोई बुनियादी परिवर्तन होने नहीं जा रहा है । साथ ही साथ इस विधेयक से यह भी साफ हो जाता है कि सरकार की जो टैक्स नीति है, वह मोटे तौर पर होच-पौच की नीति है । लेकिन एक दूसरा सवाल यह आता है कि भारतीय समाज को अपने विकास के लिए काम करना है और इसके लिए साधनों की जरूरत है और सरकार का अधिकार देश के तमाम साधनों पर नहीं है, अधिकांश साधन निजी लोगों के पास हैं, इसलिए साधनों को अधिक से अधिक जुटाने के लिए सरकार को अपने कानूनों में नये नये संशोधन करने पड़ते हैं ताकि उनकी सहायता से अधिक से अधिक धन उपलब्ध हो सके और हमारे विकास के कार्यक्रम आगे बढ़ सकें । इसलिए लाजमी हो जाता है कि इस संदर्भ में हम अपनी नीति का ठीक तरह से अध्ययन करें ।

ब्रिटेन के चांसलर आफ दी एक्सचेकर ने, जिनको हम सब जानते हैं लेकिन हम में से शायद ही तमाम लोग उनको पसन्द करेंगे, एक दफा कहा—

> "The principle of taxation should not be, how much you got, but how you got."

कहने का मतलब यह है कि प्राफिटीयरिंग, एक्स्ट्रा-वेल्थ, गिफ्ट-वेल्थ आदि जो आप देते हैं, जितने फजूलखर्ची के साधन हैं, समाज का फर्ज हो जाता है कि टैक्स के माध्यम से समाज उसको ले ले ।

यह ब्रिटेन के एक्समेकर ने कहा था, जिस का नाम मि० चरचिल था । सभापति महोदय, यदि सरकार इस नीति को अपनाना नहीं चाहती तो एक दूसरा रास्ता है और वह रास्ता है इंकम सीलिंग का । समाज में अन्य इन्कम पर सीलिंग लगाइये, जो आमदनी है उसकी हदबन्दी कीजिये और उसके अन्तर्गत टैक्स की नीति अपनाइये । कल बेणी शंकर शर्मा जी ने अमरीका की बात उठाई और उन्होंने कहा कि वहां का जीवन स्तर ऊंचा है और वहां पर शिक्षा का स्तर ऊंचा है और वे लोग बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां के भी टैक्स कानून में लूपहोल्स हैं और वहां पर भी टैक्स इवेजन होता है । चूंकि वहां पर टैक्स इवेजन होता है, इसलिये अमरीकी